प्रपत्र –26

परियोजना का नाम– *जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।*

भू–वैज्ञानिक की आख्या

–भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न है।

ह0

भू–वैज्ञानिक

नोटः– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भू–वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र–27

परियोजना का नाम– *जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।*

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0

प्रयोक्ता/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

नोटः– प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा उक्त प्रमाण– पत्र भू–वैज्ञानिक की आख्या के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

भूमि / स्था०

(88)

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

समन्वयक / प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक, पोखरी।

पत्रांक : 2557 / जि0टा0फो0च0 / भवन / 2016–17 दिनांक 8 सितम्बर 2016

विषय : **जनपद चमोली, तहसील पोखरी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक पोखरी के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 49 / रा0पा0 पोखरी / भूमि–चयन / 2016–17, दिनांक 03 मई, 2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, चमोली, उप जिलाधिकारी, पोखरी व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक: / जि0टा0फो0च0 / भवन / 2016–17, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:
1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

नि0आ0सं0-२८८ जि0टा0फो0 च0/रू0/भवन/2016-17

जनपद चमोली, तहसील पोखरी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक पोखरी के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

समन्वयक/प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, पोखरी के पत्र संख्या 49/रा0पा0 पोखरी/भूमि-चयन/2016-17, दिनांक 03 मई, 2016, जो भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, चमोली, उप जिलाधिकारी, पोखरी व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली, तहसील पोखरी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक पोखरी के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण श्री नन्दन सिंह अल्मिया, प्रभारी प्रधानाचार्य, श्री राजीव भट्ट, प्रवक्ता, श्री सुमन्त कुमार, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पोखरी की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

पहुॅच/अवस्थिति :

प्रश्नगत स्थल कर्णप्रयाग-पोखरी मोटर मार्ग के लगभग 25 कि0मी0 स्टोन से उडामान्डा-रौंता बाइफरकेशन मोटर मार्ग पर लगभग 02 कि0मी0 से अपस्लोप/दक्षिण मे लगभग 50-100 मीटर पैदल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो कि उडामान्डा-रौंता मोटर मार्ग के अपस्लोप/दक्षिणपूरब में अवस्थित भूभाग है।

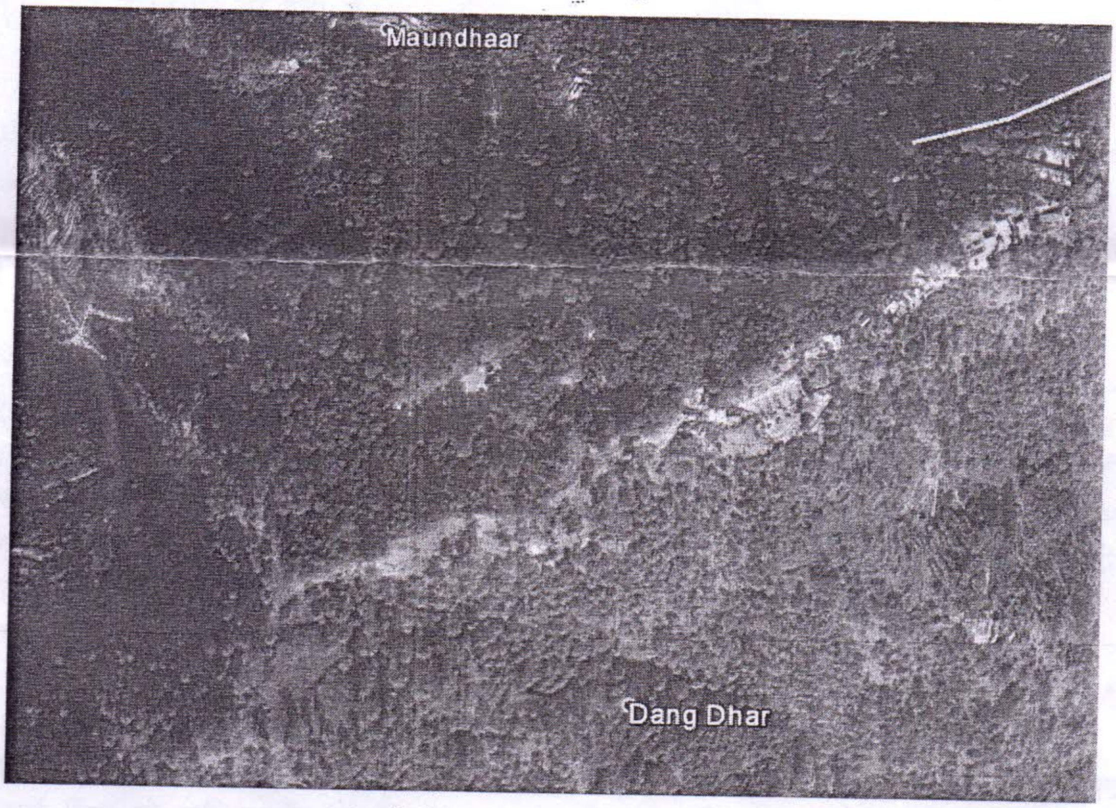

प्रस्तावित स्थल का गूगल मानचित्र

उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उक्त स्थल ग्राम उदयपुर के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 04 मे चीड़ जंगल के नाम से दर्ज खसरा संख्या 02 रकबा 4.492 है0

म0 0.404 है0 व ग्राम सिनाऊ तल्ला–मल्ला की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 30 मे दर्ज खसरा संख्या 2075 रकबा 1.605 है0 म0 0.160 है0 एवं खसरा संख्या 2076 रकबा 1.805 है0 मध्ये 0.400 है0, कुल रकबा 0.560 है0, जो कि श्रेणी 9 (3) (ख) (2) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह के रूप मे दर्ज अभिलेख हैं, इस प्रकार कुल रकबा 0.964 है0 राजकीय पॉलिटेक्निक, पोखरी के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है। उक्त क्षेत्र दो भूभागों मे विभक्त है।

भूगर्भीय आकृति / भूगर्भीय तथ्य :

उक्त स्थल लगभग पूरब–पश्चिम विस्तार लिए हुए पहाड़ी रिजयुक्त क्षेत्र है। सम्पूर्ण क्षेत्र दो भूभागों मे विभक्त है। प्रथम स्थल लगभग समतल भूभाग के रूप मे विकसित तथा द्वितीय स्थल पहाड़ी रिज के टॉप का क्षेत्र है। स्थल खेत संख्या 2075 व 2076 लगभग आंशिक ढालयुक्त व खसरा संख्या 02 रिजयुक्त क्षेत्र है जो कि दो भूभागों मे प्रस्तावित की गयी है। स्थल के उत्तर में उडामान्डा–रौंता मोटर मार्ग व मोटर मार्ग के नीचे पहाड़ी ढाल, दक्षिण मे रिज टॉप व उसके निचले भूभाग पर दक्षिण फेसिंग पहाड़ी ढाल, पूरब तथा पश्चिम मे पहाड़ी रिज का विस्तार क्षेत्र विद्यमान है। उक्त स्थल प्रथम दृष्ट्या निचला भूभाग समतल क्षेत्र के रूप मे विद्यमान है तथा पहाड़ी रिज टॉप का क्षेत्र लगभग 05^0–15^0 पश्चिम–पूरब फेसिंग पहाड़ी ढाल के साथ विद्यमान है। स्थल प्रथम दृष्ट्या वर्तमान समय में स्थिर एंगिल ऑफ रिपोज के रूप में अवस्थित है। उक्त स्थल के आसपास वृक्ष आच्छादित व दक्षिणपूरब से हल्की पहाड़ी रिजयुक्त भूभाग है। स्थल पर मृदा की आंशिक गहराईयुक्त परत विद्यमान है। स्थल पर मृदा का रंग हल्का मटमैला व भूरे प्रकृति का दृष्टिगत हो रहा है।

उक्त स्थल लेसर हिमालय के अन्तर्गत गढ़वाल समूह की चट्टानों मे वर्गीकृत है जिसमें क्षेत्र के उत्तर मे मुख्य केन्द्रीय भ्रंश तथा दक्षिण मे उत्तर अल्मोड़ा थ्रस्ट गुजरता है। स्थल की सतह पर चट्टानों के आउटक्रॉप आंशिक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्थल पर चट्टानों के आउटक्रॉप उडामान्डा–रौंता मोटर मार्ग के कटाव पर दृष्टिगत हो रहे हैं जो कि शिष्टोज क्वार्टजाइट, शिष्ट व फिलिटिक प्रकृति की चट्टानें वैदर्ड प्रकृति के रूप में थिन बैंडिंग के साथ सतह पर वेदर्ड चट्टानों के रूप में विद्यमान हैं। स्थल पर चट्टानें महीन कणों के साथ मैसिव प्रकृति की विद्यमान हैं। स्थल की अधोभूमि में उक्त चट्टानें विद्यमान हो सकती हैं। स्थल पर चट्टानों की प्रसार व नति 310^0 / 60^0 उत्तरपूरब है। रोड़ कटाव पर चट्टानें अधिक वैदर्ड प्रकृति की दृष्टिगत होने से जल प्रवाह के दौरान मास वेस्टिंग व अपरदन की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है जिसके लिए मोटर मार्ग कटाव के अपस्लोप / दक्षिणपूरब से चट्टानों की भार ग्रहता के अनुसार सीढ़ीनुमा आकार की मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक होगा।

प्रथम स्थल वर्तमान समय में लगभग तीन दिशाओं से पहाड़ी ढाल से घिरा हुआ क्षेत्र है जिससे वर्षाकाल के दौरान वर्षा जल एकत्रित होकर अधोभूमि जल रिसाव वृद्धि करने में सहायक प्रतीत होता है तथा द्वितीय स्थल रिज टॉप के रूप मे अवस्थित क्षेत्र है जिसमें रिज़ के दक्षिणपूरब मे तीव्रता का पहाड़ी ढाल विद्यमान है जिस पर सुरक्षित बफर जोन छोड़ते हुए निर्माण कार्य हेतु विचार किया जाना होगा।

विचारणीय बिन्दु :

रिज टॉप के दक्षिणपूरब/नीचे पहाड़ी ढाल को न छेड़ा जाय तथा उक्त क्षेत्र मे पहाड़ी ढाल सामान्य से अधिक तीव्रता के साथ अवस्थित है।

उक्त स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न सुझाव एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :–

1. स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 मे निहित प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. शासन द्वारा प्रख्यापित हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों हेतु बिल्डिंग बाई लॉज में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
3. चूंकि स्थल उच्च हिमालयी पर्वत श्रेणियों के मध्य सक्रिय भूकम्पीय जोन में अवस्थित है, अतः भवन निर्माण में किसी नव विकसित भूकम्परोधी तकनीक अथवा बीम एण्ड कॉलम का प्रयोग करना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्वान्तों का पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक एवं उचित होगा।
5. स्थल के नीचे/उत्तरपश्चिम से मजबूत सीमन्टेड रिटेनिंग वाल/ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण करना आवश्यक होगा।
6. स्थल पर भवन आधार, रिटेनिंग वाल एवं ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का आधार ताजा (फ्रेश) स्वस्थाने चट्टानों में भार ग्रह्रता के अनुरूप व उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ रखना आवश्यक होगा।
7. स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व स्थल की मृदा व स्वस्थानें चट्टानों की भार ग्रह्रयता क्षमता के अनुरूप, तलों की संख्या व भवन डिजाइनिंग का आंकलन किया जाय।
8. सतही जल प्रवाह तथा अधोभूमि जल रिसाव को पक्की नालियों द्वारा नियन्त्रित कर दूर किसी सुरक्षित स्थल पर छोड़ने के समुचित उपाय किये जाय।
9. सीवेज नालियां पक्की तथा सीमेन्टेड कर, अधोभूमि जल रिसाव को रोकना अत्यन्त आवश्यक होगा।
10. भवन आधार की खुदायी के समय विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय होगा।
11. जहॉ तक संभव हो, भवन सीढ़ीनुमा स्थानीय भूआकृति के अनुरूप अधिक सुरक्षित व प्रकृति के निकट होगा।
12. स्थल को विकसित करते समय मोटर मार्ग की दिशा से मजबूत ढालदार रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित) व अपस्लोप से मजबूत ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण किया जाय।

13. स्थल के लगभग उत्तरपश्चिम में मोटर मार्ग विद्यमान है जिसके लिए रोड़ वाइन्डिंग के सुरक्षित सिद्वान्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
14. स्थल के अपस्लोप से वर्षाजल व अन्य जलों के प्रवाह से अधोभूमि जल रिसाव को रोकने हेतु आवश्यक प्रबन्ध पूर्व मे ही किए जाने उचित होंगे।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूप्रकति, भूस्थलाकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से, उपरोक्त विचारणीय बिन्दु, सुझाव एवं शर्तो के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर स्थल वर्तमान परिस्थितियों मे भवन निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक